तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
28/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 8/9/25 को पेश हो।
8/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। आदेश/निर्णय सुनाया गया। निर्णय अनुसार [illegible] जाकर वा० पत्रावली [illegible] गया। पत्रावली वास्ते [illegible] प्रस्ताव दि० 13/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सांदासर (चूरू)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 52/2025

दायरा तिथि : 9-4-25

निर्णय :- 8-9-25

गोपालदास बनाम अशोक आदि

राजस्व वाद

1 गोपालदास पुत्र मघदास उम्र 47 वर्ष जाति स्वामी निवासी ग्राम पालास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान मो.नं. 9414151941

– वादी

बनाम

1 अशोक पुत्र मांगीलाल उम्र वयस्क जाति खाती निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2 किरण पुत्री मांगीलाल उम्र वयस्क जाति खाती निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3 प्रमेश्वरी पुत्री मांगीलाल उम्र वयस्क जाति खाती निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4 मुन्नी पुत्री मांगीलाल उम्र वयस्क जाति खाती निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5 रामप्यारी पुत्री मांगीलाल उम्र वयस्क जाति खाती निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6 शान्ती पुत्री मांगीलाल उम्र वयस्क जाति खाती निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7 शारदा पुत्री मांगीलाल उम्र वयस्क जाति खाती निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
8 गुमानकंवर पुत्री समुन्द्रसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
9 श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर जिला चूरू राजस्थान

प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का खातेदारी विभाजन</u>

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी, एडवोकेट वास्ते वादी
2. तहसीलदार, बीदासर वास्ते पैरोकार राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

दिनांक : 8-9-25

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने उक्त अनुवानी राजस्व वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि खेत खाता संख्या नया 42, पुराना 41, खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 0.1518 हेक्टेयर, व खेत खसरा संख्या 474/198 तादादी 1.0496 कुल दो किता खेत खसरान कुल तादादी 1.2014 वाके रोही ग्राम ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी के अविभाजित खेत हैं। जिनका विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। जब तक कृषि भूमियो का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार होता है। वादगत खेत खसरान की भूमि में वादी गोपालदास का 5/19 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है तथा इसके अलावा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 2/133 – 2/133 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 8 का 12/19 हिस्सा भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है, वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का खान–पान, रहन–सहन, लेन–देन सब अलग–अलग है तथा वादगत खेतो को भी सभी खातेदार अपने हिस्सा–पांति एवं कब्जा अनुसार अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 के मध्य आपस में मौखिक रूप से आपसी तौर पर विभाजन हो रखा है मुताबिक मौखिक विभाजन वादी वादगत खेतो में अपने हिस्से के मुताबिक उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा हैं, परंतु वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही होने के कारण वादी को कई प्रकार की कानूनी आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है, तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 आये दिन वादी के साथ विवाद करते चले आ रहे हैं। जिसके कारण वादी अपनी खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवाकर लगान का विभाजन करवाना चाहता है। जिसका वादी कानूनी अधिकारी हैं। वादी का वादगत खेतों में अपने हिस्से के मुताबिक भूमि पर कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग निर्बाध रूप से लगातार चला आ रहा है। दिनांक 05/04/2025 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 ने विभाजन करवाने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया तथा ऐलानियां तौर पर धमकियां दी कि बिना विभाजन कराये ही अवैध निर्माण, रहन, विक्रय आदि करने पर आमदा व उतारू हो रखे है। जबकि जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है।..... आदि–आदि वाद–पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 बावजूद विधिक तामील के कोई उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के खिलाफ प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रतिवादीगण संख्या 10 तहसीलदार बीदासर की ओर से प्रस्तुत जवाब में राजहित निहित नहीं होना अंकित कर पेश किया गया है। उपरोक्त वाद–पत्र में किसी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की जा सकी। वादी की ओर से अपने दावे के समर्थन में स्वयं वादी एवं भंवरदास स्वामी के सशपथ बयान न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध करवाये गये व अपने दावें के समर्थन में वादगत खेत खसरान भूमि की जमाबंदी जो प्रदर्श 1 है व नक्शा जो प्रदर्श 2 है पेश किये है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज व साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए।

बहस वादी वकील की सुनी गई, जिसमें वादी वकील ने निवेदन किया कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 0.1518 हेक्टेयर, व खेत खसरा संख्या 474/198 तादादी 1.0496 हेक्टेयर कुल दो किता खेत खसरान कुल तादादी 1.2014 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू में वादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

गोपालदास का 5/19 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है तथा इसके अलावा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 2/133 – 2/133 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 8 का 12/19 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसके सभी खातेदार काश्तकार हैं, जिनका आपस में मौखिक बंटवारा हो रखा है। वादी को संयुक्त खातेदारी के खेत होने के कारण मिलने वाले सरकारी लाभ व लगान चुकाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वादगत खेत भूमियो की संयुक्त खातेदारी का मुताबिक वादी के हिस्सा–पांति मौखिक बंटवारा व वर्तमान कब्जा–काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर अलग खातेदारी दर्ज की जावे। वादी का वाद इसी प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

वादी वकील की बहस सुनी गई पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य वादी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 0.1518 हेक्टेयर, व खेत खसरा संख्या 474/198 तादादी 1.0496 हेक्टेयर कुल दो किता खेत खसरान कुल तादादी 1.2014 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित हैं जिसमें वादी गोपालदास का 5/19 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है तथा इसके अलावा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 2/133 – 2/133 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 8 का 12/19 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार हैं, जिसमे वादी व प्रतिवादीगण का वादगत भूमि में मौके व रिकॉर्ड में कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग के अनुसार बाई मिन्ट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन कर वादी का अलग खाता विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बीदासर से मंगवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काष्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 0.1518 हेक्टेयर, व खेत खसरा संख्या 474/198 तादादी 1.0496 हेक्टेयर कुल दो किता खेत खसरान कुल तादादी 1.2014 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित हैं जिसमें वादी गोपालदास का 5/19 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है जिसमें वादी के नाम से उसकी हिस्सा भूमि की अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी अलग कर लगान अलग–अलग कायम किया जावे तथा वादी का वाद इसी प्रकार प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8-4-25 **को सरे इजलास सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर

प्रारम्भिक डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बीदासर**
व इजलास **अमीलाल यादव आर.ए.एस.**

गोपालदास बनाम **अशोक आदि**

दावा बाबत **विभाजन**

मुकदमा नम्बर 52 सन **2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू–ब–रू .... हाजरी **अरविन्द चौधरी ,एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई व **पैरोकार राज** मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 0.1518 हेक्टेयर, व खेत खसरा संख्या 474/198 तादादी 1.0496 हेक्टेयर कुल दो किता खेत खसरान कुल तादादी 1.2014 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित हैं जिसमें वादी गोपालदास का 5/19 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है जिसमें वादी के नाम से उसकी हिस्सा भूमि की अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी अलग कर लगान अलग–अलग कायम किया जावे तथा वादी का वाद इसी प्रकार प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे। इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। आदेश आज दिनांक** 8-9-25 **को सरे इजलास सुनाया गया।**

चीज ....—........ मुबलिग ....—........ बाबत ....—........

खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—........ को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहरे अदालत के आज तारीख 8-9-25 माह .... 20........

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

ओहदा ....

मुहर (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू, सत्यमेव जयते)

मद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
म्हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)